


फर्द अहकाम
(नियम)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी जिला डीडवाना-कुचामन(राज0) SN

प्रार्थी	अप्रार्थी
राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी जिला डीडवाना-कुचामन	खेमाराम पुत्र अरजाराम जाट सा. आनन्दपुरा वगैरह तहसील कुचामनसिटी
किस्म मुकदमा प्रार्थना-पत्र धारा 131, 132 R.L.R.Act 1956 व नियम 58, 59, 60, 66, 86 राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957	
प्रार्थना-पत्र नम्बर- 178/2023 GCMS No. 2023/ 470	
तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
17.10.2023	<p>राजस्थान राज्य सरकार की ओर से जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी की ओर से प्रार्थना-पत्र धारा 131, 132 R.L.R.Act 1956 व नियम 58, 59, 60, 66, 86 राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957 के तहत तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत किया। प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रकरण का अलवोकन किया गया। ग्राम आनन्दपुरा पटवार मण्डल आनन्दपुरा तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 75 में जा रहे चालू रास्ते का अंकन राजस्व अभिलेख में करवाने हेतु प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 एवं नियम 58, 59, 60, 66, 86 राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957 का मय दस्तावेजात चालू नकल जमाबन्दी, नकल नक्शा, रिपोर्ट पटवारी हल्का परिशिष्ट " ए " एवं अभिशंषा तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा की गई है। सम्पूर्ण विवेचन से स्पष्ट है सम्पूर्ण सम्बन्धित खातेदारान की प्रकरण में सहमती नहीं है तथा न ही किसी प्रकार का संबंधित खातेदारों द्वारा लिखित स्वरूप सहमती पत्र या अनापत्ती प्रस्तुत हुई है। राजस्थान सरकार राजस्व गुप-6 क्रमांक/प.3 (17) राज-6/2021 पार्ट/91 दिनांक 30.09.2021 की श्रेणी में प्रकरण नहीं आता है। अतः प्रार्थना पत्र साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है। मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नगर) </p>
	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए

